स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		13519.15	1416.00	14935.15	12793.90	1500.00	14293.90	14706.57	1388.25	16094.82
पूंजी		*355.85*	*...*	*355.85*	*206.10*	*...*	*206.10*	*873.43*	*...*	*873.43*
जोड़		**13875.00**	**1416.00**	**15291.00**	**13000.00**	**1500.00**	**14500.00**	**15580.00**	**1388.25**	**16968.25**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	2.50	25.40	27.90	2.50	25.40	27.90	2.50	26.00	28.50
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.00	1.00	...	0.60	0.60	...	1.00	1.00
(I) स्वास्थ्य										
3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2210	1.00	21.15	22.15	1.85	21.55	23.40	1.00	24.85	25.85
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	6.00	2.90	8.90	10.60	3.10	13.70	14.19	3.40	17.59
	4210	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
	जोड़	*6.00*	*2.90*	*8.90*	*10.60*	*3.10*	*13.70*	*14.89*	*3.40*	*18.29*
5. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2210	31.00	330.00	361.00	31.00	368.00	399.00	35.00	334.00	369.00
	4210	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
	जोड़	*36.00*	*330.00*	*366.00*	*36.00*	*368.00*	*404.00*	*45.00*	*334.00*	*379.00*
अस्पताल और औषधालय										
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	31.00	80.10	111.10	37.00	92.25	129.25	30.00	95.90	125.90
	4210	...	...	...	19.00	...	19.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*31.00*	*80.10*	*111.10*	*56.00*	*92.25*	*148.25*	*50.00*	*95.90*	*145.90*
7. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	26.00	61.30	87.30	27.00	65.25	92.25	35.00	68.95	103.95
	4210	8.20	...	8.20	18.15	...	18.15	24.20	...	24.20
	4216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	...	...	...
	जोड़	*34.70*	*61.30*	*96.00*	*45.65*	*65.25*	*110.90*	*59.20*	*68.95*	*128.15*
8. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	2210	7.00	13.15	20.15	6.95	13.00	19.95	7.00	13.15	20.15
	4210	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
	4216	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	जोड़	10.00	13.15	23.15	9.95	13.00	22.95	12.00	13.15	25.15
9. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई	2210	4.10	5.20	9.30	3.90	4.85	8.75	3.00	5.20	8.20
	4210	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	...	...	...
	जोड़	5.00	5.20	10.20	4.80	4.85	9.65	3.00	5.20	8.20
10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	7.00	12.95	19.95	8.60	13.45	22.05	12.00	13.00	25.00
	4210	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	2.50	...	2.50
	4216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	8.00	12.95	20.95	9.60	13.45	23.05	15.00	13.00	28.00
11. भुज अस्पताल, गुजरात को अनुदान	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - अस्पताल और औषधालय		**88.70**	**172.70**	**261.40**	**126.00**	**188.80**	**314.80**	**139.20**	**196.20**	**335.40**
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान										
12. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली*	2210	144.15	90.00	234.15	144.15	90.00	234.15	...	...	...
13. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीटयूट दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	4.00	11.00	15.00	4.00	11.00	15.00	7.00	11.00	18.00
14. कैंसर अनुसंधान	2210	110.00	6.00	116.00	60.00	6.00	66.00	105.00	6.00	111.00
15. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	8.00	54.00	62.00	13.50	54.70	68.20	15.00	54.00	69.00
	4210	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	29.00	...	29.00
	4216	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00
	जोड़	18.00	54.00	72.00	23.50	54.70	78.20	45.00	54.00	99.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2210	200.00	290.00	490.00	160.00	310.00	470.00	162.00	290.00	452.00
17. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलौर	2210	35.00	23.00	58.00	35.00	23.00	58.00	43.00	25.00	68.00
18. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	2210	8.00	3.00	11.00	8.00	3.00	11.00	14.00	3.00	17.00
19. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	2210	40.00	133.00	173.00	70.00	133.00	203.00	50.00	133.00	183.00
20. जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, पांडिचेरी	2210	...	30.00	30.00	...	29.60	29.60	...	30.00	30.00
21. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	2210	20.00	24.40	44.40	31.55	23.85	55.40	35.00	30.00	65.00
	4210	82.45	...	82.45	85.95	...	85.95	50.00	...	50.00
	4216	5.00	...	5.00	1.50	...	1.50	13.00	...	13.00
	जोड़	107.45	24.40	131.85	119.00	23.85	142.85	98.00	30.00	128.00
22. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	8.00	...	8.00	16.48	...	16.48	21.21	...	21.21
23. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	2210	...	...	...	2.50	...	2.50	...	...	...
	4210	20.00	...	20.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
	जोड़	20.00	...	20.00	17.50	...	17.50	20.00	...	20.00
25. डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4210	1.30	...	1.30	26.30	...	26.30	10.80	...	10.80
	जोड़	1.30	...	1.30	26.30	...	26.30	10.80	...	10.80
26. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल-सह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्यन	2210	150.00	...	150.00	90.00	...	90.00	50.00	...	50.00
	4210	...	...	...	...	...	...	360.00	...	360.00
	4216	...	...	...	...	...	...	80.00	...	80.00
	जोड़	150.00	...	150.00	90.00	...	90.00	490.00	...	490.00
27. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	2210	4.55	5.56	10.11	4.38	5.35	9.73	4.60	6.30	10.90
जोड़ चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान		**850.45**	**669.96**	**1520.41**	**778.31**	**689.50**	**1467.81**	**1070.61**	**588.30**	**1658.91**
जन स्वास्थ्य										
28. पत्तन/विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन/ प्रतिष्ठान (पोतों के डिरेटाइजेशन सहित)	2210	0.90	11.40	12.30	0.85	11.50	12.35	0.80	12.20	13.00
29. क्षय रोग/कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान	2210	4.85	12.00	16.85	4.80	10.75	15.55	3.63	12.30	15.93
	4210	0.75	...	0.75	0.75	...	0.75	4.98	...	4.98
	4216	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
	जोड़	5.85	12.00	17.85	5.80	10.75	16.55	8.61	12.30	20.91
30. नर्सिंग सेवाओं का विकास	2210	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
31. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	10.00	12.30	22.30	8.35	12.70	21.05	7.00	14.00	21.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*10.00*	*12.30*	*22.30*	*8.35*	*12.70*	*21.05*	*7.00*	*14.00*	*21.00*
32. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	719.50	...	719.50	858.39	...	858.39	993.00	...	993.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008			संशोधित, 2007-2008			बजट, 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
33. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	58.00	...	58.00	28.00	...	28.00	58.00	...	58.00
34. खाद्य अपमिश्रण निवारण (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच स्कीम की परियोजना सहित)	2210	2.50	3.09	5.59	2.50	3.10	5.60	11.00	3.95	14.95
35. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	2210	4.00	9.90	13.90	4.55	10.30	14.85	9.00	11.25	20.25
36. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माण	2210	12.00	6.00	18.00	12.22	6.47	18.69	16.15	7.00	23.15
37. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	2210	26.95	18.60	45.55	26.95	19.53	46.48	20.30	20.60	40.90
38. जन स्वास्थ्य शिक्षा	2210	1.00	14.55	15.55	1.20	16.50	17.70	7.00	18.90	25.90
	4210	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	13.00	...	13.00
	जोड़	*4.50*	*14.55*	*19.05*	*4.70*	*16.50*	*21.20*	*20.00*	*18.90*	*38.90*
39. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	2210	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	6.30	...	6.30
40. लाला रामस्वरुप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	5.00	7.00	12.00	14.63	7.00	21.63	18.24	7.00	25.24
41. हजयात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खरीद	2210	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	7.50
42. अभिघात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2210	68.73	...	68.73	38.50	...	38.50	106.00	...	106.00
43. खाद्य एवं औषधों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना हेतु सहायता	2210	52.27	...	52.27	32.25	...	32.25	45.00	...	45.00
44. राष्ट्रीय आरोग्य निधि	2210	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
	3601	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
	3602	...	1.00	1.00	...	0.95	0.95	...	1.00	1.00
	जोड़	...	*10.00*	*10.00*	...	*9.95*	*9.95*	...	*10.00*	*10.00*
45. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं										
45.1 ओवर साइट समिति	2210	400.00	...	400.00	...	...	...	40.00	...	40.00
	4210	200.00	...	200.00	...	...	...	30.00	...	30.00
	4216	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00
	जोड़	600.00	...	600.00	...	...	...	100.00	...	100.00
45.2 तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	2210	32.00	...	32.00	28.00	...	28.00	24.00	...	24.00
45.3 लोक स्वास्थ्य संस्था	2210	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	1.00	...	1.00
45.4 टेली मेडिसिन	2210	15.00	...	15.00	11.18	...	11.18	15.00	...	15.00
45.5 मधुमेह, कर्डियोवेस्कूलर रोग और आघातों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	2210	17.58	...	17.58	5.00	...	5.00	27.00	...	27.00
45.6 राष्ट्रीय बधिरता कार्यक्रम	2210	5.42	...	5.42	5.68	...	5.68	10.00	...	10.00
45.7 नई पहलें	2210	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	22.00	...	22.00
	4210	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	27.00	...	27.00
45.8 अन्य स्कीमें	2210	5.15	4.30	9.45	4.88	4.25	9.13	5.40	4.30	9.70
45.9 जिला अस्पताल	2210	...	...	...	...	...	...	68.00	...	68.00
45.10 मानव स्वास्थ्य संसाधन	2210	...	...	...	...	...	...	196.00	...	196.00
	4210	...	...	...	...	...	...	155.00	...	155.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	351.00	...	351.00
45.11 स्वास्थ्य बीमा	2210	...	...	...	...	...	...	42.00	...	42.00
	जोड़	709.15	4.30	713.45	88.74	4.25	92.99	670.40	4.30	674.70
46. चिकित्सा भंडार संगठन	4210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2210	...	28.80	28.80	...	28.80	28.80	...	30.00	30.00
	जोड़	...	*28.80*	*28.80*	...	*28.80*	*28.80*	...	*30.00*	*30.00*
जोड़ - जन स्वास्थ्य		**1701.85**	**145.44**	**1847.29**	**1148.93**	**148.35**	**1297.28**	**2004.80**	**159.00**	**2163.80**
जोड़ - स्वास्थ्य		**2684.00**	**1342.15**	**4026.15**	**2101.69**	**1419.30**	**3520.99**	**3275.50**	**1305.75**	**4581.25**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(II) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन										
47. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम										
47.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	161.00	6.40	167.40	167.11	6.56	173.67	201.43	7.28	208.71
	3601	199.50	...	199.50	192.75	...	192.75	225.05	...	225.05
	3602	1.50	...	1.50	2.14	...	2.14	0.66	...	0.66
	जोड़	*362.00*	*6.40*	*368.40*	*362.00*	*6.56*	*368.56*	*427.14*	*7.28*	*434.42*
47.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	227.00	...	227.00	244.00	...	244.00	238.00	...	238.00
	3601	20.00	...	20.00	4.50	...	4.50	24.00	...	24.00
	3602	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
	जोड़	*249.00*	...	*249.00*	*249.00*	...	*249.00*	*263.00*	...	*263.00*
47.03 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	26.63	...	26.63	16.00	...	16.00	32.98	...	32.98
	3601	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00
	3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	जोड़	*34.65*	...	*34.65*	*25.02*	...	*25.02*	*41.00*	...	*41.00*
47.04 राष्ट्रीय ट्रेकोमा एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	110.80	...	110.80	142.67	...	142.67	204.80	...	204.80
	3601	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	जोड़	*126.00*	...	*126.00*	*157.87*	...	*157.87*	*225.00*	...	*225.00*
47.05 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	21.30	...	21.30	21.30	...	21.30	24.50	...	24.50
	3601	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	4.00	...	4.00
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.30	...	0.30
	जोड़	*24.00*	...	*24.00*	*24.00*	...	*24.00*	*28.80*	...	*28.80*
47.06 राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	40.00	0.01	40.01	42.00	...	42.00	53.00	...	53.00
	3601	32.00	...	32.00	10.00	...	10.00	16.00	...	16.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*72.00*	*0.01*	*72.01*	*52.00*	...	*52.00*	*69.00*	...	*69.00*
47.07 राष्ट्रीय नशामुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम	2210	9.98	...	9.98	8.93	...	8.93	11.00	...	11.00
	3601	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
	3602	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*10.00*	...	*10.00*	*8.93*	...	*8.93*	*11.00*	...	*11.00*
जोड़ - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम		**877.65**	**6.41**	**884.06**	**878.82**	**6.56**	**885.38**	**1064.94**	**7.28**	**1072.22**
48. निदेशन और प्रशासन	2211	8.37	5.51	13.88	3.79	5.12	8.91	4.22	6.18	10.40
	3601	231.70	...	231.70	190.54	...	190.54	308.64	...	308.64
	3602	0.01	...	0.01	0.36	...	0.36	5.74	...	5.74
	जोड़	*240.08*	*5.51*	*245.59*	*194.69*	*5.12*	*199.81*	*318.60*	*6.18*	*324.78*
49. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप केंद्र)	2211	3.55	...	3.55	3.73	...	3.73	4.11	...	4.11
	3601	1820.44	...	1820.44	1923.71	...	1923.71	2329.60	...	2329.60
	3602	0.01	...	0.01	19.30	...	19.30	1.88	...	1.88
	जोड़	*1824.00*	...	*1824.00*	*1946.74*	...	*1946.74*	*2335.59*	...	*2335.59*
50. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.64	...	0.64	0.64	...	0.64	0.72	...	0.72
	3601	119.68	...	119.68	127.73	...	127.73	147.41	...	147.41
	3602	0.02	...	0.02	1.03	...	1.03	6.62	...	6.62
	जोड़	*120.34*	...	*120.34*	*129.40*	...	*129.40*	*154.75*	...	*154.75*

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
51. गर्भ निरोधन										
51.01 गर्भ निरोधकों (कंडोमों को छोड़कर)	2211	0.60	...	0.60	0.04	...	0.04	0.50	...	0.50
का निःशुल्क वितरण	3601	56.40	...	56.40	36.15	...	36.15	57.00	...	57.00
	3602	1.00	...	1.00	0.07	...	0.07	1.00	...	1.00
	जोड़	*58.00*	...	*58.00*	*36.26*	...	*36.26*	*58.50*	...	*58.50*
51.02 गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन (कंडोमों के सामाजिक विपणन के अतिरिक्त)	2211	45.00	...	45.00	25.42	...	25.42	27.02	...	27.02
51.03 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए कंडोमों का निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन	2210	247.50	...	247.50	275.00	...	275.00	270.00	...	270.00
51.04 नसबंदी बिस्तर	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - गर्भ निरोधन		**350.50**	**...**	**350.50**	**336.68**	**...**	**336.68**	**355.52**	**...**	**355.52**
52. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना	2211	16.99	0.01	17.00	5.59	...	5.59	11.00	...	11.00
	3601	178.00	...	178.00	...	...	...	254.00	...	254.00
	3602	1.00	...	1.00	...	...	...	4.00	...	4.00
	जोड़	*195.99*	*0.01*	*196.00*	*5.59*	...	*5.59*	*269.00*	...	*269.00*
53. रूटीन रोग प्रतिरक्षण	2211	4.00	...	4.00	2.50	...	2.50	12.00	...	12.00
	3601	290.00	...	290.00	236.30	...	236.30	441.30	...	441.30
	3602	6.50	...	6.50	6.00	...	6.00	13.00	...	13.00
	जोड़	*300.50*	...	*300.50*	*244.80*	...	*244.80*	*466.30*	...	*466.30*
54. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	2211	648.50	...	648.50	453.70	...	453.70	552.41	...	552.41
	3601	623.38	...	623.38	624.88	...	624.88	469.72	...	469.72
	3602	17.50	...	17.50	22.00	...	22.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*1289.38*	...	*1289.38*	*1100.58*	...	*1100.58*	*1042.13*	...	*1042.13*
55. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	2211	152.30	3.31	155.61	152.30	3.68	155.98	167.93	3.14	171.07
56. राज्यों और केंद्र के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान	2211	18.10	22.71	40.81	11.08	23.64	34.72	22.95	27.65	50.60
	3601	83.66	...	83.66	86.72	...	86.72	95.37	...	95.37
	3602	0.03	...	0.03	...	...	...	1.00	...	1.00
	4211	...	...	...	1.30	...	1.30	8.75	...	8.75
	जोड़	*101.79*	*22.71*	*124.50*	*99.10*	*23.64*	*122.74*	*128.07*	*27.65*	*155.72*
57. अनुसंधान संस्थान	2211	58.14	0.04	58.18	58.64	...	58.64	14.07	...	14.07
58. राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल										
58.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूल	2211	2682.72	...	2682.72	2682.72	...	2682.72	1950.83	...	1950.83
58.02 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल	2211	1476.20	...	1476.20	1623.58	...	1623.58	2235.75	...	2235.75
अन्य सेवाएं										
59. क्षेत्र परियोजनाएं										
59.01 इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्टस	2211	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59.02 यूरोपी आयोग से सहायता प्राप्त एसआईपी परियोजनाएं	2211	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
59.03 यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त सिफप्सा परियोजना	2211	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
59.04 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि सहायता प्राप्त छठा कंट्री कार्यक्रम (सीपी-6)	2211	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - क्षेत्र परियोजनाएं		**50.01**	**...**	**50.01**	**50.01**	**...**	**50.01**	**50.01**	**...**	**50.01**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
60. परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं										
60.01 परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना	2211	11.00	...	11.00	3.18	...	3.18	6.00	...	6.00
60.02 गैर सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी भागीदारी)	2211	18.40	...	18.40	18.40	...	18.40	17.81	...	17.81
60.03 प्रबंध सूचना प्रणाली	2211	27.00	...	27.00	48.00	...	48.00	137.00	...	137.00
60.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	2211	7.00	...	7.00	4.10	...	4.10	4.00	...	4.00
60.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना	2211	0.50	...	0.50	1.73	...	1.73	1.40	...	1.40
60.06 अन्य योजनाएं	2211	15.60	0.01	15.61	14.86	...	14.86	20.15	...	20.15
61. अन्तर्राष्ट्रीय योगदान	2211	1.90	...	1.90	1.89	...	1.89	2.15	...	2.15
जोड़ - अन्य कल्याण योजनाएं		**81.40**	**0.01**	**81.41**	**92.16**	**...**	**92.16**	**188.51**	**...**	**188.51**
जोड़ - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		**9801.00**	**38.00**	**9839.00**	**9595.81**	**39.00**	**9634.81**	**10742.00**	**44.25**	**10786.25**
62. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	9.45	9.45	...	15.70	15.70	...	11.25	11.25
63. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिकिक्म की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान										
63.01 एनआरएचएम के अन्तर्गत स्कीमें										
63.01.1 राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2552	84.35	...	84.35	95.10	...	95.10	123.63	...	123.63
63.01.2 परिवार कल्याण	2552	1004.65	...	1004.65	977.70	...	977.70	1064.37	...	1064.37
	जोड़	*1089.00*	*...*	*1089.00*	*1072.80*	*...*	*1072.80*	*1188.00*	*...*	*1188.00*
63.02 स्वास्थ्य स्कीमें	2552	284.50	...	284.50	213.20	...	213.20	372.00	...	372.00
	4552	14.00	...	14.00	14.00	...	14.00	...	...	...
	जोड़	298.50	...	298.50	227.20	...	227.20	372.00	...	372.00
	जोड़	*1387.50*	*...*	*1387.50*	*1300.00*	*...*	*1300.00*	*1560.00*	*...*	*1560.00*
64. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	186.80	186.80	...	...	...	...	...	...
घटाइये-कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*3606*	*...*	*-186.80*	*-186.80*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़		***13875.00***	***1416.00***	***15291.00***	***13000.00***	***1500.00***	***14500.00***	***15580.00***	***1388.25***	***16968.25***

* मांग संख्या 48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. भारतीय अस्पताल सेवाएं सलाहकार निगम लि.	22210	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	22251	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22210	3561.65	...	3561.65	2980.51	...	2980.51	4340.44	...	4340.44
3. परिवार कल्याण	22211	8923.35	...	8923.35	8716.99	...	8716.99	9677.06	...	9677.06
4. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	1387.50	...	1387.50	1300.00	...	1300.00	1560.00	...	1560.00
जोड़		**13875.00**	**...**	**13875.00**	**13000.00**	**...**	**13000.00**	**15580.00**	**...**	**15580.00**

http://indiabudget.nic.in

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाः इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की जाती है।

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयः यह चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विषयों पर तकनीकी विशेषज्ञता के लिए प्रावधान है और यह विनिमय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है और देश और बाहर जैव-चिकित्सा सूचना को एकत्र करने, संसाधित करने और आपूर्ति के लिए केद्रक बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

4. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय : यह भारत में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान सूचना के केद्र के रूप में कार्य करता है और यह अपने सूचना उत्पादों और सेवाओं के जरिए देश भर के सभी व्यावसायियों और चिकित्सकों तक पहुंचने का प्रयास करता है।

5. केद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना : यह संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत जजों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों आदि जैसे विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अतिरिक्त केद्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्ध औषधालयों/यूनिटों के माध्यम से बाह्य रोगी परिचर्या करना शामिल है। इस समय इस योजना में देश भर के 23 शहरों में लगभग 44.72 लाख लाभार्थी (जिसमें केद्रीय सरकार कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं) शामिल हैं।

6. सफदरजंग अस्पताल : यह केद्रीय सरकार का अस्पताल है जिसमें 1531 पलंग हैं और यह दिल्ली और पडोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। इसके परिसर में निःशुल्क आयुर्वेदिक, ओ.पी.डी., होम्योपैथिक ओ.पी.डी. सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

7. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली : यह भी केद्रीय सरकार का अस्पताल है यहां पर 1000 पलंग हैं और यहां पर केद्रीय सरकार के कर्मचारियों और संसद सदस्यों आदि के लिए एक नर्सिंग होम भी है। इस अस्पताल का उद्देश्य लगभग सभी प्रमुख विभागों में स्पेशियलिटीज/सुपर स्पेशियलिटीज में गहन रोगी परिचर्या प्रदान करना है। इस अस्पताल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातकपूर्व छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण केद्र भी है। इस अस्पताल द्वारा 75 छात्रों की क्षमता वाला एक नर्सिंग स्कूल भी चलाया जा रहा है।

8. केद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची : यह देश में मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख केद्रीय सरकारी संस्थान है। संस्थान में 673 पलंग हैं और यह पडोसी राज्यों अर्थात नेपाल और भूटान की जरूरतों को भी पूरा करता है। नैदानिक और उपचार सुविधाओं के अलावा, यह मनश्चिकित्सा में स्नातकोतर पाठ्यक्रम भी चलाता है।

9. अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई : यह सारे दक्षिण एशिया में चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाओं वाला एक प्रमुख संस्थान है। संस्थान में 45 पलंग है और यह पुनर्वास चिकित्सा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास चिकित्सा में अनुसंधान कार्य भी करता है।

10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली : यह संस्थान 350 पलंगों वाला केवल बाल रोगों का अस्पताल है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा संचालित किया जाता है। यह बाल चिकित्सा, सर्जरी, अस्थि भंग और बच्चों के लिए गहन परिचर्या सुविधाएं प्रदान करता है। जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण की विदेशी सहायता से 150 अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था के साथ मौजूदा सुविधाओं में विशेषज्ञ बाल चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

12. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली : मांग संख्या 48 में स्थानांतरित- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग।

13. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली : यह वक्ष रोगों में व्यावहारिक एवं बुनियादी अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षण, रेफरल क्लिनिकल एवं प्रयोगशाला निदान सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है। यह संकाय सदस्यों और भारत के विभिन्न भागों के चिकित्सकों के लिए श्वसन रोगों में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

14. कैंसर अनुसंधान : इस कार्यक्रम के अंतर्गत अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, ग्वालियर, इलाहाबाद, चैन्नई, त्रिवेद्रम, हैदराबाद, पटना, रोहतक, शिमला, बीकानेर, पांडिचेरी, रायपुर, आइजोल और नागपुर स्थित क्षेत्रीय कैंसर केद्रों के अलावा आईआरसीएच (एम्स), नई दिल्ली और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता को सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी मेडिकल कालेजों के अर्बुद विज्ञान स्कंधों के विकास और जिला परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की संस्थाओं को भी केद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

15. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली : इसे केद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है और यह महिलाओं को स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा पुरूष छात्रों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। यह कालेज छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल अस्पताल से सम्बद्ध है। यह नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल आफ नर्सिंग भी चलाता है।

16. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली : इसे चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न विषयों पर प्रयोग और अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। यहां पर 1803 पलंग है। डा. राजेद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केद्र इससे संबद्ध है। केद्रीय सरकार इस संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संस्थान की कुछ अनुसंधान स्कीमों का वित्त पोषण विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है।

17. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर : यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है जो भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है और मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। यह संस्थान विश्वविद्यालय समतुल्य है और चिकित्सा और परा चिकित्सा विषयों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

18. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर : यह वाक एवं श्रवण विकारों वाले रोगियों के निदान, चिकित्सा और परामर्शी सेवाओं में नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। यह वाक और श्रवण चिकित्सकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।

19. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढः यह संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है और यह वही कार्य करता है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली करता है परन्तु स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। यह संस्थान केद्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित है और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और विशिष्ट अस्पताली सेवाओं के लिए एक केद्र है। इस संस्थान से संबद्ध नेहरू अस्पताल में 1268 पलंग हैं।

20. जवाहरलाल मेडिकल कालेज, पुडुचेरी : यह चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम चलाता है। यह कालेज पुडुचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

21. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी : यह संस्थान भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं संचालित है, यह संस्थान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। इसकी पलंग क्षमता 912 है। यह शिक्षण पाठ्यचर्या में नवीनतम विकास को प्रदर्शित करते हुए चिकित्सा शिक्षक प्रशिक्षण केद्र भी चलाता है।

22. कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी : यह देश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रथम और सबसे बडा मेडिकल कालेज है और यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में छात्रों को ज्ञान कराता है। इस सोसायटी का एक शिक्षण अस्पताल भी है जहां पर 648 पलंग हैं, यहां पर उत्तम नैदानिक और उपचार सुविधाएं हैं और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त आधार है।

23. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांगः यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे मेद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत 1987 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है और यह स्वास्थ्य जनशक्ति विकास और सुपरस्पेशियलिटी के चुने हुए क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढावा देने के लिए क्षेत्रीय सेवा केद्र के रूप में भी कार्य करता है।

24. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली : सफदरजंग अस्पताल में स्थित इस मेडिकल कालेज ने छात्रों के दो बैचों को दाखिला दिया है। इसकी योजना शरीर रचना विभाग में जेनेटिक प्रयोगशाला और एंथ्रोपोलोजी प्रयोगशाला, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में एटोनोमिक प्रयोगशाला और जैव रसायन विभाग में मोलीक्यूलर बायोलाजी प्रयोगशाला स्थापित करने की है।

25. डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में चिकित्सा, अस्थिभंग, शल्यचिकित्सा, संवेदनाहरण, विकिरण विज्ञान, त्वचा, नेत्र और बाल चिकित्सा जैसी विभिन्न विशिष्टताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के एम डी/एम एस/डी एन बी छात्रों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

26. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों का उन्नयनः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की तरह के 6 अस्पतालों सह शिक्षण केद्रों को विभिन्न राज्यों में स्थापित करने और राज्य सरकारों के 10 अस्पतालों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

27. अन्य शैक्षणिक संस्थाएंः इनमें आर ए के कालेज आफ नर्सिंग, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा अनुदान आयोग इत्यादि शामिल हैं।

28. पत्तन/विमानपत्तन संगठन/प्रतिष्ठान (पोतों की डिरेटाइजेशन सहित)ः पत्तन एवं विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन देश के प्रमुख पत्तनों एवं अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में स्वास्थ्य क्लीयरेंस एवं संगरोध प्रशासन को शासित करता है एवं इनके लिए व्यवस्था करता है। इस संगठन का उद्देश्य स्थानिकमारी वाले अधिसूचित देशों से आने-जाने वाले यात्रियों के जरिए देश में होने वाले संचारी रोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोकना, पीत ज्वर का देश में प्रवेश को रोकना है। भारत में सभी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों द्वारा डिरेटाइजेशन प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। अब यह कार्य मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई तथा कोचीन पत्तनों पर किया जा रहा है।

29. क्षयरोग/कुष्ठरोग प्रशिक्षण संस्थानः इनमें राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपत्रो तथा अस्का, रायपुर तथा गौरीपुर के क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

30. नर्सिंग सेवाओं का विकासः इसमें नर्सिंग प्रशिक्षण, नौवीं योजना अवधि के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता, नर्सिंग स्कूलों का मेडिकल कालेज से संबद्ध नर्सिंग कालेज में उन्नयन, आर ए के कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली का राष्ट्रीय उत्कृष्ट केद्र के रूप में उन्नयन, मौजूदा नर्सिंग स्कूलों/कालेजों का सुदृढीकरण तथा दिल्ली में स्थित केद्र सरकार के अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों के लिए आवास की व्यवस्था का प्रावधान है।

31. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली : यह जानपदिक रोग विज्ञानी तथा संचारी रोगों के नियंत्रण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा केद्र सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों को संचारी रोगों की जांच एवं नियंत्रण में सेवा/सलाह देने के प्रति समर्पित है। इसके कार्यकलाप अलवर, बंगलौर,कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजमुंदरी तथा वाराणसी के विशिष्ट प्रभागों एवं क्षेत्रीय स्टेशनों के जरिए चलाए जाते हैं।

32. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (कंडोमों के मुफ्त वितरण एवं सामाजिक विपणन सहित)ः एड्स (एक्वायर्ड इम्मयून डिफिशिएन्सी सिंड्रोम) हाल के वर्षों में एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आया है। एच आई वी सक्रमण तथा एड्स से जुडी बहु पक्षीय समस्याओं से निपटने की तत्काल अत्यावश्यकता समझते हुए सरकार ने विशेषतौर पर एच आई वी संक्रमण के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए कार्यकलापों (इन्टरवेंशन) के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी जागरूकता में अधिक ध्यान देने के बजाए दीर्घकालिक आधार पर एच आई वी/एड्स से निपटने की भारत की क्षमता को सुदृढ करने के उद्देश्य से आई डी ए/विश्व बैंक से उदार ऋण प्राप्त कर पर्याप्त वित्तीय सहायता से एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक दूसरी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना द्वारा अनेक गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करके तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों विशेष तौर पर व्यावसायिक यौन कर्मियों एवं उनके ग्राहकों और एस टी डी रोगियों में एच आई वी निवारण व्यवहार को सुदृढ करने का प्रयास किया जाता है।

33. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमः इसमें इस समस्या के प्रति एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना की गई है जिसमें (क) राज्य के भीतर अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल का प्रशिक्षण (ख) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता बढाना (ग) ओ पी डी तथा अंतरंग उपचार, दोनों के द्वारा समुदाय में विद्यमान मानसिक रोग की शीघ्र पहचान एवं उपचार हेतु सहायता प्रदान करना तथा डिस्चार्ज किए गए रोगियों की बाद में बार-बार जांच करना तथा (घ) भावी नियोजन, सेवा तथा अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य तथा केद्र में समुदाय स्तर पर उपयोगी डाटा तथा अनुभव प्रदान करना शामिल हैं ।

34. खाद्य अपमिश्रण निवारण (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच स्कीम की परियोजना सहित)ः इसके लक्ष्य हैं (i) राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय मानदण्डों का निर्धारण करना (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नियमावली का प्रशासन तथा इसके उपबंधों को लागू करने में राज्यों के साथ समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करना (iii) प्रशिक्षण, उपकरण तथा प्रयोगशाला सुविधाएं जैसी प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, तथा (iv) उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करना।

35. केद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठनः इसमें एक औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की व्यवस्था है जो अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले तकनीकी मामलों पर केद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत एक सांविधिक बोर्ड है, तथा इसमें औषध परामर्शदात्री समिति की भी व्यवस्था है जो एक सांविधिक निकाय है यह देशभर में औषध की एक समान प्रयोज्यता पर विचार करती है एवं सरकार से समय-समय पर संशोधन की सिफारिश करती है; औषध जांच प्रयोगशालाओं, राज्य औषध नियंत्रण संगठन की सूचना प्रणाली में सुधार सहित उसका सुदृढीकरण और प्रवर्तन एवं सहायक स्टाफ का सुदृढीकरण; एक तदर्थ समिति के माध्यम से भारतीय भेषज संहिता को तैयार करने एवं इसे अद्यतन बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

36. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माणः इसमें बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई, जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा जिसे बी सी जी वैक्सीन और ट्युबरकुलिन, पी पी डी का विनिर्माण एवं राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई करने के लिए स्थापित किया गया था। एफ डी बी सी जी वैक्सीन की सप्लाई व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा नियत आबंटन के अनुसार की जाती है। साथ ही, इसमें भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर को सहायता अनुदान देने का प्रावधान है।

37. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएंः इसमें केद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली और राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नोएडा, के लिए प्रावधान किया गया है। इस संस्था का उद्देश्य जैविक एवं प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जांच प्रक्रियाओं हेतु मानदण्डों को विकसित एवं निर्धारित करना, अन्य राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करना, वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान के समकक्ष दक्षता बनाए रखना तथा संबद्ध संस्थानों के कार्मिकों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जैविक एवं प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण में प्रौद्योगिकी

विकास; सीरमविज्ञानी संस्थान कोलकाता में औषध सुग्राहिता जांच, विभागीय उत्पादन के लिए स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन के साथ एंटी सीरा वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए प्रयोगशाला एकक के समुपयोजन का प्रावधान है।

38. जन स्वास्थ्य शिक्षाः इसमें अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता तथा बाल परिचर्या एवं प्रशिक्षण केद्र, सिंगूर जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं, का प्रावधान किया गया है। यह देश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक है। इसका लक्ष्य पी जी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्मिक शक्ति को विकसित करना; देश में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं रोगों से संबंधित अनुसंधान करना; तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं निष्कर्षों के अनुप्रयोग के लिए विधियां विकसित करने हेतु प्रचालनात्मक अनुसंधान करना है।

39. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधनः यह प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा राहत की व्यवस्था करता है।

40. लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली : यह क्षयरोग, जो देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, के उपचार में कार्यरत देश के प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इस संस्थान में गृह आधारित उपचार प्रदान करने के लिए एक क्लिनिक है तथा 520 बिस्तर हैं। यह पिछले 44 वर्षों से लोगों की सेवा करता आ रहा है।

41. हज यात्रियों के टीकाकरण (इनोक्यूलेशन) के लिए मेनिंनजाइटिस वैक्सीन का प्रापणः इसमें मेनिंगो-कोक्कल मेनिंनजाइटिस रोग के निवारण की व्यवस्था है।

42. अभिज्ञात केद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायताः इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शहरों/नगरों में अवस्थित राज्य अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन/सुदृढीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। इस योजना का लक्ष्य दुघर्टना एवं अभिघात सेवाओं के लिए अपेक्षित उपकरणों से सुसज्जित एम्बूलेंसों एवं आधारभूत अनिवार्य उपस्करों द्वारा दुघर्टना एवं आपातकालीन सेवाओं का संवर्धन करना है।

43. खाद्य एवं औषधों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना हेतु सहायताः इसमें औषध एवं खाद्य निरापदता के मानकीकरण एवं गुणवत्ता का प्रावधान किया गया है।

45. अन्य स्वास्थ्य योजनाएंः इसमें स्वास्थ्य परिचर्या के कार्य में जुटी विभिन्न स्कीमों एवं संस्थाओं का प्रावधान है जैसे केद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, कैंसर अनुसंधान के अन्तर्गत तम्बाकूमुक्त पहलें, नई दिल्ली क्षय रोग केद्र को अनुदान, भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, सेंट जान एम्बूलेंस, स्वास्थ्य सूचना एवं मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ करना आदि।

टेलीमेडिसिन, राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका रोग तथा आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, बहरेपन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, लेप्टोस्पाइरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, ह्यूमन रेबीज रोकथाम और नियंत्रण पर प्रायोगिक परियोजना, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, मुख स्वास्थ्य, राष्ट्रीय फ्लूरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, वृद्धों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम और चिकित्सा पुनर्वास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (पूर्वोत्तर में नई पहलें), खेलों में आने वाली चोट के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केद्र, राष्ट्रीय मानक सलाहकार बोर्ड, पराचिकित्सा संस्थाओं की स्थापना और प्राथमिक स्कूलों का सुदृढीकरण/उन्नयन और वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई अन्तरराष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता शामिल है।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के दौरान मातृ और बाल स्वास्थ्य के सुदृढीकरण के लिए जिला अस्पताल, राज्य सरकारी मेडिकल कालेजों का सुदृढीकरण, शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन स्वास्थ्य बीमा और नर्सिंग सेवाओं, फार्मेसी परिषदों के उन्नयन/सुदृढीकरण और पराचिकित्सा संस्थानों के सृजन जैसी नई पहलें भी शुरू की गई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए सम्पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेषकर निर्धन एवं असुरक्षित वर्ग के लोगों को वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी एवं भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है।

47. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

47.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमः यह मलेरिया, कालाजारट जापानी एंसेफलाइटिस, फाइलेरिया एवं डेंगू जैसे वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देता है। आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा एवं राजस्थान के 100 जिलों एवं 1045 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों को कवर करते हुए विश्व बैंक की सहायता से एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना 1997 से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया तथा 2010 तक कालाजार के उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लक्ष्य का अनुसरण करना है।

मलेरियाः निगरानी के तहत लक्षित जनसंख्या के 10 प्रतिशत के मुकाबले, एबीईआर ने अक्तूबर, 2007 तक 7.17 तक प्राप्त किया (दिनांक 25.12.07 तक)। अक्तूबर, 2007 तक प्राप्त वार्षिक परजीवी घटना दर 0.99 है।

फायलेरियाः लक्षित जनसंख्या का 80 प्रतिशत वकरेज और उपचार अनुपालन का 65 प्रतिशत-डीईसी गोलियों के साथ मास ड्रग एडमिनेश्ट्रेशन 20 राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया। 19 राज्यों ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को छोडकर सभी जिलों में मास ड्रग एडमिनेश्ट्रेशन पूरा कर लिया है। सूचित कवरेज लगभग 87.28 प्रतिशत है।

काला-आजारः वर्ष 2006-07 के दौरान (अक्तूबर, 07 तक) 37525 रोगियों और 169 मौतों (25.12.2007 तक) की सूचना दी गई है।

47.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमः क्षयरोग एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 से चल रहा है और इसे सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए चलाया जाता है, जिला क्षयरोग केद्र नोडल एजेन्सियां हैं। वर्ष 1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई और परिणामस्वरूप एक संशोधित कार्यनीति बनाई गई। संशोधित कार्यनीति में संक्रमित व्यक्तियों की रोगमुक्ति दर को 85S से अधिक करने पर बल दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम में निदान हेतु विकिरण विज्ञान की बजाय स्पूटम जांच को बढावा दिया जाता है। 59,3000 नए स्पूटम रोगियों का पता लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 455830 रोगियों का पता लगाया गया और उनका उपचार शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

47.03 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रमः इस कार्यक्रम से अत्यधिक सफलता प्रदर्शित हुई है। देश में 1981 में 4.0 मिलियन कुष्ठ रोगी थे जो मार्च, 2007 के अन्त तक कम होकर 83000 रोगी रह गए। देश के सभी जिलों के लिए एम डी टी सेवाओं की स्वीकृति दी गई है। यह कार्यक्रम 610 जिला कुष्ठ सोसाइटियों के माध्यम से चलाया जाता है। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उन्मूलन स्तर अर्थात् प्रति 10,000 लोगों पर 1 रोगी से कम व्याप्तता *दर प्राप्त कर लिया है। 4 राज्यों* अर्थात बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल में प्रति 10,000 लोगों पर 1 से 2 के बीच व्याप्तता दर है। छत्तीसगढ इसका अपवाद है जहां प्रति 10,000 लोगों पर 2 से अधिक व्याप्तता दर है। दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार 96964 कुष्ठ रोगियों का रिकार्ड है तथा अप्रैल , 2007 से दिसम्बर, 2007 तक 10602 नए रोगियों का पता लगाया गया।

47.04 राष्ट्रीय ट्रेकोमा एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रमः इस कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के साथ-साथ शिविर दृष्टिकोण अपनाकर तथा स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाएं स्थापित करके जरूरतमंदों को तत्काल राहत देने की व्यवस्था की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिले में नेत्र परिचर्या सेवा के प्रबंधन को विकेंद्रित करने तथा सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बीच

सहभागित विकसित करने के लिए जिला दृष्टिहीनता सोसाइटियों की संकल्पना का कार्यान्वयन किया गया है। अब तक 520 डी बी सी बनाए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं।

* 50 लाख के लक्ष्य में से 28.6 लाख मोतियाबिंद आपरेशन किए गए हैं जिनमें से लगभग 92प्रतिशत आईओएल प्रत्यारोपण वाले हैं।
* स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,02,717 निर्धन स्कूली बच्चों को चश्मे प्रदान किए गए हैं।
* दान में प्राप्त 14,964 से अधिक नेत्र एकत्र किए गए हैं।
* लगभग 225 नेत्र सर्जनों को नेत्र विज्ञान के विभिन्न विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षित किया गया है।

47.05 राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रमः देश में करीब 71 मिलियन लोगों के आयोडीन अल्पता विकारों से पीडित होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम का मुख्य बल चरणबद्ध ढंग से संपूर्ण खाद्य नमक को आयोडीनयुक्त करना है।

47.06 राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रमः यह कार्यक्रम संचारी रोगों की निगरानी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संचारी रोग की निगरानी प्रणाली को सुदृढ करना तथा जिला स्तर पर राज्य की क्षमताओं को विकसित करना है जिससे कि रूग्णता एवं मौतों की बडी संख्या को रोकने के लिए त्वरित उपयुक्त उपचार शुरू करने हेतु जिलों में प्रकोप का शीघ्र पता चलाया जा सके।

48. निदेशन एवं प्रशासनः राज्य एवं जिला परिवार कल्याण ब्यूरो, राज्यों/जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निदेशन एवं प्रशासन के साधन हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इन ब्यूरों में तैनात स्टाफ को वेतन का भुगतान किया जाता है।

49. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप-केद्र)ः निचले स्तर पर व्यापक बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति 5000 की ग्रामीण आबादी (आदिवासी एवं पहाडी क्षेत्रों में 3000 की आबादी) के लिए उप-केद्र स्थापित किए जाते हैं। उप-केद्रों में मुख्यतः मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, व्यापक रोग प्रतिरक्षण, अतिसारीय नियंत्रण और संचारी रोग कार्यक्रमों से संबंधित संवर्धनात्मक एवं शैक्षणिक कार्य होते हैं। महिलाओं ओर बच्चों की अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको छोटे-मोटे रोगों के लिए बुनियादी औषधें भी प्रदान की जाती हें। सभी उप-केद्रों को स्वैप प्रस्ताव के तहत दिनांक 1.4.2002 से केद्रीय सरकार द्वारा धन प्रदान किया जा रहा है।

50. शहरी परिवार कल्याण सेवाएंः आउटरीच सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने ओर गर्भनिरोधकों के वितरण के लिए राज्यों/सघ क्षेत्रों में शहरी परिवार कल्याण केद्र काम कर रहे हैं। शहरी मलिन बस्तियों में आउटरीच सेवा प्रदान करने संबंधी प्रणाली को बेहतर करने के लिए शहरी सुधार योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के तहत स्टाफ के वेतन, आकस्मिक व्यय और किराए के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

51. गर्भनिरोधनः

51.01 एवं 51.02ः गर्भनिरोधकों का निःशुल्क एवं वाणिज्यिक वितरणः इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि युवा दम्पत्ति प्रजनन आयु वर्ग में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए नसबंदी जैसी परिवार नियोजन की स्थायी विधियों की हिमायत नहीं की जा सकती है। इस कार्यक्रम के तहत उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार नियोजन के जन्म में अन्तर रखने संबंधी विधियों के तहत विभिन्न गर्भनिरोधक अर्थात् खाई जाने वाली गोलियां, कापर-टी आदि प्रदान किए जाते हैं।

51.03 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के लिए कण्डोमों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणनः यह सुरक्षित यौन संबंध के लिए एक विकल्प के रूप में कण्डोमों के प्रयोग के जरिए एचआईवी संक्रमण के नियंत्रण के लिए है। पात्र दम्पत्तियों में निःशुल्क वितरण हेतु 2000 मिलियन नग पुरूष कण्डोमों और 12 लाख महिला कण्डोमों की खरीद और 1000 कण्डोम वेंडिंग मशीनों की खरीद एवं प्रयोग के लिए निधियाँ जारी की गई हैं।

52. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजनाः इस योजना के अंतर्गत, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए औषधों, उपकरणों एवं अन्य उपभोज्यों की आपूर्ति उप-केद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों ऐर अन्य प्रथम रेफल एककों को की जाती हैं। सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम में औषधों एवं अन्य आपूर्तियों की उपलब्धता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों की विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्मिकों को और अधिक प्रशिक्षण तथा राज्यों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को अनुदान दिए जाते हैं। कार्यक्रम संबंधी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यकलाप प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल के तहत वcार किए जाते हैं।

53. नेमी रोगप्रतिरक्षणः इसमें 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को क्षयरोग, कूकुरखांसी, डिप्थीरिया, टेटनस एवं खसरे जैसे वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के लिए टीकाकरण करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य 80 प्रतिशत से अधिक डीपीटी-3 कवरेज वाले 11 राज्यों में हेपाटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू करना है। पांच राज्यों के 11 उच्च जोखिम वाले जिलों में जापानी इन्सेफेलाइटिस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान वैक्सीन-वार रिपोर्ट की गई कवरेज निम्नलिखित है : बीसीजी-87.4%, खसरा-70.9%, डीपीटी(III)-68.4%, ओपीवी(III)-67.5%।

54. पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षणः इसमें राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों और उप-राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवसों के माध्यम से देश में पोलियो वायरस के सभी नस्लों का उन्मूलन करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य 3-18 वर्ष के आयु वर्ग के पोलियो (वाइल्ड वायरस) से प्रभावित बच्चों की उपचारात्मक सर्जरी करना भी है ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें।

पिछले वर्ष के टाइप-I के 648 रोगियों की तुलना में इस वर्ष टाइप-I के केवल 79 रोगियों की सूचना दी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्थानिकमारी वाले क्षेत्र ने इस वर्ष टाइप-I के एक पोलियो रोगी की सूचना दी है। मुरादाबाद और जेपी नगर के मुख्य जिलों, जो वर्ष 2006 में प्रकोप के केद्रबिन्दु थे, ने पिछले एक वर्ष के दौरान पी1 के एक भी रोगी की सूचना नहीं दी है।

55. सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषणः सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का उद्देश्य निर्धनों, महिलाओं, बच्चों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं सुविधा के बारे में जागरूकता एवं सूचना का प्रचार-प्रसार करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों के रहन-सहन से संबंधित परिवेश के अनुकूल स्वास्थ्य चिकित्सा प्राप्त करने से संबंधित व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के तहत प्रमुख घटक का जोर सामान्य एवं प्रत्यक्ष संदेशों पर है। नई कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है और विभिन्न मल्टीमीडिया साधनों के जरिए नियोजित की जाती है। रेडियो एवं दूरदर्शन के जरिए मीडिया योजना को क्षेत्र एवं संस्कृति- विशिष्ट बनाया गया है। जनसमुदाय की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रव्य-दृश्य मीडिया के लिए साफ्टवेयर बनाया गया है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति का प्रमुख घटक अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण विधियों से संबंधित है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनिटों अर्थात् डीएवीपी, गीत एवं नाटक प्रभाग एवं क्षेत्र प्रसार निदेशालय के जरिए किया जा रहा है। ये अग्रणी एजेंसियों के रूप में काम करते हैं।

56. राज्यों और केद्र के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानः परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हता-प्राप्त, प्रशिक्षित एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण को समुचित महत्व दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण केद्रों एवं स्कूलों के नेटवर्क के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कई विख्यात संस्थान अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आदि प्रशिक्षण कार्यकलाप करने के कार्य में लगे हुए हैं।

57. अनुसंधान संस्थानः इनमें विभिन्न जनांकिकीय, सामाजिक-आर्थिक, क्षेत्र-विशिष्ट और जनसंख्या एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की क्षेत्र-विशिष्ट और सम्प्रेषण पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इसमें

पुरूष एवं महिला गर्भनिरोधकों के विकास के प्रयोजन और प्रजननता विनियम पर अध्ययन करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान की व्यवस्था है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दो अखिल भारतीय सर्वेक्षण अर्थात् (i) बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के सुदृढीकरण संबंधी योजना के तहत राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित ए एन एम प्रशिक्षण स्कूलों का मूल्यांकन और (ii) निःशुल्क आपूर्ति के तहत वितरित किए गए गर्भनिरोधकों के उपयोग का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन, भी किए जा रहे हैं।

58. राज्य पी आई पी का फ्लेक्सिबल पूलः

58.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूलः इसमें मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के चयन एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों का प्रथम रेफरल एककों और भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन की व्यवस्था है। रोगी कल्याण समिति एवं जिला अस्पताल प्रबंधन समिति, मोबाइल चिकित्सा एककों, उप-केद्रों के लिए असंबद्ध निधियां का गठन, जिला कार्य योजनाओं की तैयारी, राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के जरिए ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता को जल जांच करने संबंधी किट की आपूर्ति आदि की व्यवस्था है। ये कार्यकलाप चरणबद्ध तरीके से ग्यारहवी योजना के अंत तक जारी रहेंगे।

58.02. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लैक्सिबल पूलः राज्य के विकास तथा जिला स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) सहित राज्यों द्वारा फ्लैक्सिबल पूल के माध्यम से विकेद्रीकृत योजना और फ्लैक्सिबल प्रोग्रामिंग की सहायता की जाती है जिनमें कमजोर वर्गों से संबंधित परिणामों और समुदाय-आधारित मानीटरिंग और मूल्यांकन पर महत्व दिया है। आई एम आर, एम एम आर को कम करने की तकनीकी कार्यनीतियां तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-1 के रूप में कुल प्रजनन दर (टी एफ आर) को यथावत बनाए रखा जाता है जिसमें आई एम एन सी आई और प्रमाण-आधारित पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्कीमों के आधार के बजाय अन्य आवश्यकता आधारित योजना बनाने की छूट दी गई है जिसमें उनको सख्त मानदंडों से रियायत दी जाती है, तथापि राज्यों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं उनके संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इस फ्लैक्सिबल पूल में विश्व बैंक, डीएफआईडी तथा यूएनएफपीए के रूप में बाह्य वित्तीय अभिकरणों के 'पूल्ड' निधियों को भी शामिल किया जाता है।

अन्य सेवाएं

59 क्षेत्रीय परियोजनाएं

59.03 संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता प्राप्त सिफप्सा परियोजनाः परिवार नियोजन सेवा नवीनता में उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं को पुनःअभिमुखी करने और उनको पुनर्जीवित करने के लिए की गई पहल हेतु व्यवस्था है। इस परियोजना को उत्तरांचल और झारखंड राज्यों तक बढा दिया गया है। इसका उद्देश्य बी.सी.सी. और विपणन, निजी क्षेत्र के माध्यम से एकीकृत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी बढाना और सार्वजनिक तथा निजी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए व्यवस्था करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ करना है।

60. अन्य परिवार कल्याण योजनाएंः

60.01 परिवार कल्याण सम्बद्ध स्वास्थ्य बीमा योजनाः इस योजना में नसबंदी आपरेशन के पश्चात मौत/चिकित्सीय जटिलताओं के लिए मुआवजा प्रदान करना है। इस योजना में नसबंदी आपरेशन की असफलता के लिए मुआवजा प्रदान करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में नसबंदी आपरेशन करने के लिए व्यवसायिक सेवाएं प्रदान करने वाले डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधा केद्रों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है।

60.02 गैर सरकारी संगठन (सार्वजनिक-निजी भागीदारी): राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता के जरिए समुदाय में इस कार्यक्रम का और अधिक स्वामित्व देने की व्यवस्था है। यह साझेदारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में पहले से ही वर्णित किए गए गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता की कार्यनीति को सुदृढ बनाएगी। विशेषतः गैर-सरकारी संगठन सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी की व्यवस्था के लिए एक सम्पूरक अथवा पूरक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को जन साधारण तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। उनको क्रियाविधि अपनाने में सहजता होती है तथा वे जनता के साथ आसानी से बेहतर संबंध बना लेते हैं तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रमुख बिन्दु होते हैं। गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यकलाप के अतिरिक्त सेवा प्रदानगी में सहायता देने के लिए शामिल किया जाएगा।

60.03 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस): इसका उद्देश्य आर सी एच-II और एनआर एचएम के तहत रूटीन मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ बनाना है। इसके साथ ही इसमें विभिन्न सर्वेक्षण करने की भी व्यवस्था है यथा (i) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (एनएफएचएस-III), (ii) जिला स्तरीय गृह सवेक्षण (दौर III) और वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस)। ये सर्वेक्षण जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम की मध्यस्थता के लिए प्राक्कलन प्रदान करेंगे।

60.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोगः इसके तहत जिन क्रियाकलापों के लिए व्यवस्था है उनमें (i) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से नीति के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करना और मॉनीटर करना (ii) जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य को तेज करने के लिए जनांकिकी, शैक्षणिक, पारिस्थितिकीय और विकास संबंधी कार्यक्रमों के बीच सहयोग बढाना (iii) केद्रीय और राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसी के बीच योजना और क्रियान्वयन के कार्य में अंतरक्षेत्रीय समन्वय बढाना ताकि नागरिक समाज और निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जा सके तथा नीति में निर्धारित लक्ष्यों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके तथा (iv) इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन में ठोस जन आंदोलन को बढावा देने के कार्य को सुकर बनाना शामिल है।

60.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएंः इसमें उन क्षेत्रों में जहां गर्भ निरोधकों का चलन कम है, वहां गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन के लिए गैर सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करने की व्यवस्था है।

60.06 अन्य योजनाएंः इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान संघ (आईएमए) को राज्यों/केद्र शासित क्षेत्रों में स्थित उनकी शाखाओं के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए उसकी बैठकों / सम्मेलनों / मेलों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

61. अंतर्राष्ट्रीय योगदानः इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास समिति, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यकलाप निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.), पी.पी.डी. ढाका और आईकोम्प, कुआलालम्पुर को भारत सरकार के अंशदान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय निकायों को प्रतिनिधिमंडल और चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है।

63. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्थाः पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए उपर्युक्त विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में 1,560 करोड रूपए का प्रावधान शामिल कर लिया गया है।

64. सहायता, सामग्री एवं उपस्करः पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए सीडीसी और जेआईसीए तथा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डीएफआईडी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों से सामग्रीगत अनुदान सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा है।

http://indiabudget.nic.in